निग – 1409–I–16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

परमजीत सिंह पुत्र श्री तारा सिंह जाट सिख, निवासी – ग्राम मयापुरा, तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जिला– श्योपुर (म.प्र.) -- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.09.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार तहसील श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 20/2000–01/अ–86 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2001 से ग्राम मयापुर की भूमि सर्वे नं. 192/2 रकवा 12 बीघा 10 विस्वा पर आवेदक परमजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाट सिख निवासी मयापुर की भूमि आवंटित की गयी थी। उक्त प्रकरण में तहसीलदार श्योपुर द्वारा विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2523 के अनुक्रम में आवंटित की गयी प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त भूमि पूर्व में मोहम्मद पुत्र बसीर खॉ मुसलमान निवासी श्योपुर भूमि स्वामी के रूप में सम्बत् 2057 दर्ज है सम्बत् 2058 के खसरे में अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 110/2000–01/बी–121 आदेश दिनांक 06.07.2001 द्वारा 12 बीघा 10 विस्वा भूमि का पट्टा आवेदक का निरस्त किया जाकर भूमि शासन में वेष्ठित की गयी भूमि भूदान की है भूदान का पट्टा अधिनियम के तहत् दिया जाता है। भूदान पट्टा देने की शर्तो का पालन नहीं किया गया इस्तहार विधिवत् नहीं है तामीली भृत्य-के हस्ताक्षर नहीं है सर्वे नं. 152/2 का रकवा 5.262 है० मोहम्मद पुत्र बसीर मुसलमान के नाम था जिसमें से केवल 12 बीघा 10 विस्वा का पट्टा निरस्त किया गया पट्टा दिनांक 06.07.2001 को निरस्त किया गया पुनः पट्टा दिनांक 05.09.2001 को दिया गया उक्त प्रकरण में म.प्र. भू–राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी /403–एक/16 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 19/2010–11/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.9.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	